# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 2018/00177

सत्यनारायण आयु 50 वर्ष आत्मज नोला जाति बैरवा निवासी बाछौला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

**बनाम**

1. प्रहलाद आयु 50 वर्ष आत्मज नोला जाति बैरवा निवासी बाछोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. शंकर लाल आयु 45 वर्ष आत्मज नोला जाति बैरवा निवासी बाछोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. सुखपाल आयु 35 वर्ष आत्मज नोला जाति बैरवा निवासी बाछोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. कंवरी आयु 70 वर्ष बेवा नोला जाति बैरवा निवासी बाछोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. श्रीमती शंकरी बाई आयु 40 वर्ष पुत्री नोला पत्नी दुर्गालाल जाति बैरवा निवासी बालून्दा तहसील देवली जिला टोंक ।
6. श्रीमती राजा बाई आयु 35 वर्ष पुत्री नोला पत्नी घांसी लाल जाति बैरवा निवासी सीसोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. छीतर आयु 55 वर्ष आत्मज हीरालाल जाति बैरवा निवासी बाछौला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. मदन आयु 40 वर्ष आत्मज रामदेव जाति बैरवा निवासी बाछौला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. प्रभू आयु 35 वर्ष आत्मज रामदेव जाति बैरवा निवासी बाछौला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. श्रीमती सोहनी आयु 40 वर्ष पुत्री पन्ना पत्नी सोजी जाति बैरवा निवासी कोरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
11. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश बून्दी जिला बून्दी ।
12. भू–स्वामी तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

## निर्णय

दिनांकः 20.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 92ए, 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बाछौला तहसील नैनवा में कुल 07 किता की रकबा 09 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । ग्राम बाछौला में ही खाता संख्या 184 की खसरा नम्बर 1308 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है । चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि के मूल खातेदार नोला, छीतर पिसरान हीरा, मदन, प्रभू पिता रामदेव एवं पन्ना वल्द लक्ष्मण थे जिसमें 1/2 हिस्से के खातेदार पन्ना आत्मज लक्ष्मण जाति बैरवा और 1/2 हिस्सा अन्य सहखातेदार का है । वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित आराजी के खातेदार नोला व पन्ना थे दोनों संभाग से 1/2 – 1/2 हिस्से के खातेदार दर्ज हैं । वादग्रस्त आराजी आराजी में पन्ना ने अपनी जीवित अवस्था में ही दिनांक 09.03.1997 को अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति की वसीयत कर वादी को अपना वारिस घोषित कर दिया था । पन्ना ने वसीयतनामा अपनी पत्नी की पूर्ण सहमति व इच्छा के अनुसार ही समस्त पंचों के बीच लिखवाया । पन्ना जी की मृत्यु के पूर्व से ही पन्ना जी की भूमि पर वादी बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादी कम 01 प्रहलाद को वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि पर केवल नोला के पुत्र होने से ही वारिस के रूप में हक है अन्य कोई अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हैं । प्रतिवादी के मन में बदयान्ति आ गई है इस कारण प्रतिवादीगण अवैध अनाधिकृत रूप से सम्पूर्ण भूमि से वादी को बेदखल कर स्वयं कब्जा करना चाहते हैं ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी के स्थान पर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के विभाजित हिस्से पर वादी के हक व आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 01, 03, 6, 10 व 11 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. तत्पश्चात् वादी के विद्वान् अभिभाषक ने दिनांक 20.07.2012 के द्वारा नो–इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने नो– इन्स्ट्रक्शन प्लीड के आधार पर वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 20.07.2012 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत चली आ रही थी जिसकी सूचना वादी वकील द्वारा वादी को नहीं दी और दिनांक 20.07.2012 को वादी के अभिभाषक ने नो– इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया और अधीनस्थ न्यायालय ने नो– इन्स्ट्रक्शन प्लीड के आधार पर वाद वादी खारिज कर दिया । जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार नो– इन्स्ट्रक्शन प्लीड करने के पश्चात् पक्षकार को न्यायालय द्वारा सूचना दी जानी चाहिए थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नो– इन्स्ट्रक्शन प्लीड करने के पश्चात् किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई जबकि माननीय राजस्व मण्डल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक प्रकार के निर्णय पारित किये हैं जिनमें स्पष्ट रूप से माना है कि नो– इन्स्ट्रक्शन प्लीड करने के पश्चात् पक्षकार को न्यायालय द्वारा सूचित किया जावेगा । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट को यह कह रखा था कि जब आपकी आवश्यकता होगी आपको तारीख पेशी पर बुला लिया जावेगा । वकील द्वारा प्रार्थी को नहीं बुलाकर दिनाक 20.07.2012 को नो– इन्स्ट्रक्शन प्लीड कर मुकदमे को खारिज करवा दिया जिसकी सूचना प्रार्थी अपीलान्ट को नहीं दी गई । प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.01.2018 को अपने वकील से सम्पर्क किया तो उसके द्वारा यह कहा गया कि तुम्हारा दावा तो दिनांक 20.07.2012 को खारिज करवा दिया गया है । इस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.01.2018 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और दिनांक 31.01.2008 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट ने धारा 53, 92ए, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया था और इसमें ग्राम बाछौला तहसील नैनवा में खाता संख्या 186 की कुल 07 किता की करबा 09 बीघा 02 बिस्वा आराजी एवं खाता संख्या 184 की खसरा नम्बर 1308 की रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा के बाबत् सहायता चाही थी । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के द्वारा जवाबदावा पेश किया गया । पत्रावली तनकीयात कायम होने के उपरान्त साक्ष्य वादी में लम्बित थी और दिनांक 20.07.2012 को वादी के अभिभाषक के द्वारा नो–इन्स्ट्रेक्शन प्लीड किया गया । इसके आधार पर परीक्षण न्यायालय ने दावा खारिज किया जबकि नो–इन्स्ट्रेक्शन प्लीड होने के बाद न्यायालय को अपीलान्ट को सूचना देनी चाहिए । परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई । इन तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2012 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डब्ल्यूएलसी (राज0) 1998 (3) पेज 29, आरआरटी 2004 (1) पेज 157 उद्वरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को साक्ष्य वादी में काफी अवसर दिये गये परन्तु वो साक्ष्य में उपस्थित नहीं हुए और दिनांक 20.07.2012 को उनके अभिभाषक ने नो–इन्स्ट्रेक्शन प्लीडकिया जिसके आधार पर विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2012 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है और ऐसा निर्णय जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होता है उसमें समयसीमा गौण हो जाती है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. वादी के अभिभाषक के द्वारा दिनांक 20.07.2012 को नो– इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया गया है और उसी दिन दावा अदम हाजरी एंव अदम पैरवी में खारिज किया गया है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार अदि अभिभाषक के द्वारा नो–इन्स्ट्रेक्शन प्लीड किया जाता है तो वादी को न्यायालय द्वारा नोटिस किया जाना अनिवार्य होता है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज कर विधिक त्रुटि की है । डब्ल्यूएलसी (राज0) 1998 (3) पेज 29, आरआरटी 2004 (1) पेज 157 यहॉ चस्पा होती है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान की साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 06.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 20.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा